संख्या– /XXVIII–5–2014–74/2013

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 22 अगस्त, 2014

विषयः जनपद नैनीताल के अर्न्तगत हल्दूचौड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–7प/1/79/43/2013/276 दिनांक 02.01.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्दूचौड को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन का टी0ए0सी0, वित्त द्वारा परीक्षण करते हुए संस्तुत की गई धनराशि **₹7.69 लाख (रूपये सात लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में इतनी ही धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, हल्द्वानी, नैनीताल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भलीभॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
4. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।
5. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय।
6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेज चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजायन/मानक पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से बिषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता के दृष्टिगत तदनुसार कार्यवाही की जाय। उक्त कार्य हेतु विस्तृत आगणन के गठन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10. 2010 के आलोक में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2014–15 की अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय, 10–00 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्चीकरण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–109(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक 22 अगस्त, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नः ऑलटमेन्ट आई संख्या– S1408120112</u>

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-1521 (1)/XXVIII–5–2014–74/2013 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. कमिश्नर, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BILAS GODIYAL 2014-15\Admn & Financial Sanction\Admn & Financial Sanc O.O.doc